29

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 372-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-11-2012 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल - प्रकरण कमांक 11/2012-13 अपील

चमरूदास पुत्र स्व. सोबेदार पनिका
ग्राम कछरा टोला (पिपरा टोला) तहसील
पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- तुलसीवाई बेबा पत्नि स्व. सोनू सिंह गौड़ उर्फ सवनूसिंह
2- सुद्धीवाई वेवा पत्नि स्व. सोनू सिंह गौड उर्फ सवनूसिंह
3- भुपाल सिंह पुत्र स्व. सोनू सिंह गौर्ड उर्फ सवनूसिंह
निवासी ग्राम कछरा टोला(पिपरा टोला) तहसील
पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक रामाश्रय द्विवेदी)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 11/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-11-12 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त खमरौदा तहसील पुष्पराजगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 185, 190, 109, 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम कछरा टोला की भूमि खसरा नंबर 200 रकबा 1.95 एकड़ (आगे

जिसे वदग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) शासकीय अभिलेख में अनावेदकगण के नाम अंकित है जिसके कालम नंबर 12 में उसका कब्जा दर्ज है। इस भूमि पर वह 35-40 वर्षो से काविज होकर खेती करता आ रहा है । यह भूमि अनावदेकगणों के सास एंव ससुर व्दारा बदले में दी थी तभी से खेती करते आ रहा है, इसलिये भूमि उसके नाम की जावे। नायव तहसीलदार वृत्त खमरौदा तहसील पुष्पराजगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 5 अ-6/1998-99 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 26-2-2001 पारित करके वादग्रस्त भूमि आवेदक कू नाम दर्ज करने के आदेश दिये। नायव तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 13 अ-6/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-2002 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 26-2-2001 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, शहडौल संभाग ने प्रकरण क्रमांक 11/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-11-12 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के समर्थन में आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ लिखित तर्को में अंकित तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त खमरौदा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 185, 190, 109, 110 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया है कि ग्राम कछरा टोला की भूमि खसरा नंबर 200 रकबा 1.95 एकड़ अनावेदकगण के नाम है जिसके कालम नंबर 12 में उसका कब्जा अंकित होकर 35-40 वर्षो से खेती करता आ रहा है । यह भूमि उसे अनावदेकगणों के सास एंव ससुर व्दारा बदले में दी थी । अनुविभगीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ व्दारा आदेश दिनांक 29-1-02 में निष्कर्ष दिया है कि भूमि के अदला-बदली वावत् आवेदकगण/ अपीलार्थीगण को बदले में देने योग्य भूमि का हवाला नहीं दिया गया। इसी प्रकार अपर आयुक्त, शहडौल

संभाग व्दारा आदेश दिनांक 26-11-12 में विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जिस आधार पर नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया था उसे प्रमाणित करने का भार अपीलार्थी पर था। अपीलार्थी ने अदला-बदली का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि दोनों पक्षों के मध्य विनिमय हुआ है। वैसे भी विनिमय रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। साधारण लिखा पढ़ी के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है। जब आवेदक के पास भूमि के अदला-बदली का कोई दस्तावेज नहीं है तब नायव तहसीलदार वृत्त खमरौदा तहसील पुष्पराजगढ़ व्दारा आदेश दिनांक 26-2-2001 से भूमि पर आवेदक का नामान्तरण करना आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचना माना जावेगा।

4/ प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने विधवा महिलाओं के नाम की भूमि पर आवेदक को संहिता की धारा 185 सहपठित 190 के अंतर्गत भूमिस्वामी के अधिकार दिये है, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 168 (2) के अंतर्गत विधवा महिला निःशक्त श्रेणी में है । श्री हरिहर निवास द्विवेदी कृत म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 185 की टिप्पणी "औ " इस प्रकार है :-

" निःशक्त व्यक्तियों के कृषक - भूमि के सभी विधिमान्य वास्तविक जोताओं को धारा 185 की उपधारा (1) ने मौरूसी कृषक बना दिया है। इसका केवल एक अपवाद उपधारा (3) में दिया गया है जो व्यक्ति संहिता के प्रवृत होने के समय ऐसे भूमिस्वामी से, जो धारा 168 की उपधारा (2) में वर्णित किसी प्रवर्ग का हो, भूमि धारण करता हो तब वह मौरूसी कृषक के अधिकार अर्जित नहीं कर सकेगा। "

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह भी परिलक्षित है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त खमरौदा तहसील पुष्पराजगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 185, 190 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार उत्पन्न होना बताकर नामांत्रण मांगा है जिसे नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26-2-2001से स्वीकार किया है। **सॉवल विरूद्व लक्ष्मीनारायण 1991 रा0नि0 114 में मान. उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि मौरूसी कृषक की प्रास्थिति के अर्जन के विषय में विवाद के संदर्भ में संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो मौरूसी कृषक की प्रास्थिति के अवधारण के लिये किसी राजस्व अधिकारी को सशैकत बनाता हो, ऐसे दावे के अवधारण की अधिकारिता सिविल न्यायालय में निहित है, राजस्व अधिकारी में नहीं।** इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, शहडौल संभाग के आदेश

दिनांक 26-11-12 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ व्दारा आदेश दिनांक 29-1-02 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, शहडौल संभाग के आदेश दिनांक 26-11-12 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, शहडौल संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 11/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-11-12 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर